बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976

(1976 का 19)

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

अध्याय 2

बन्धित श्रम पद्धति का उत्सादन

4. बन्धित श्रम पद्धति का उत्सादन।
5. करार, रूढ़ि आदि का शून्य होना।

अध्याय 3

बन्धित ऋण का प्रतिसंदाय करने के दायित्व की समाप्ति

6. बन्धित ऋण का प्रतिसंदाय करने के दायित्व की समाप्ति।
7. बन्धित श्रमिक की सम्पत्ति का कुर्की, आदि से मुक्त किया जाना।
8. मुक्त किए गए बन्धित श्रमिक का वासस्थान, आदि से बेदखल न किया जाना।
9. समाप्त ऋण के लिए लेनदार द्वारा संदाय का स्वीकार न किया जाना।

अध्याय 4

कार्यान्वयन प्राधिकारी

10. वे प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।
11. ऋण सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों का कर्तव्य।
12. जिला मजिस्ट्रेट का और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों का कर्तव्य।

अध्याय 5

सतर्कता समितियां

13. सतर्कता समितियां।
14. सतर्कता समितियों के कृत्य।
15. सबूत का भार।

अध्याय 6

अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया

16. बन्धित श्रम के प्रवर्तन के लिए दण्ड।
17. बन्धित ऋण के दिए जाने के लिए दण्ड।
18. बन्धित श्रम पद्धति के अधीन बन्धित श्रम कराने के लिए दण्ड।
19. बन्धित श्रमिकों को सम्पत्ति का कब्जा वापस करने में लोप या असफलता के लिए दण्ड।
20. दुष्प्रेरण का एक अपराध होना।
21. अपराधों का कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारण किया जाना।
22. अपराधों का संज्ञान।
23. कम्पनियों द्वारा अपराध।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

24. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
25. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।
26. नियम बनाने की शक्ति।
27. निरसन और व्यावृत्ति।

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976*

(1976 का अधिनियम संख्यांक 19)

[9 फरवरी, 1976]

जनता के दुर्बल वर्गों के आर्थिक और शारीरिक शोषण का निवारण करने के उद्देश्य से बन्धित श्रम पद्धति के उत्सादन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह 1975 के अक्तूबर के पच्चीसवें दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अग्रिम" से, चाहे नकद या वस्तु रूप में अथवा भागतः नकद या भागतः वस्तु रूप में, ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् लेनदार कहा गया है) किसी दूसरे व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऋणी कहा गया है) दिया जाता है ;

(ख) "करार" से ऋणी और लेनदार के बीच करार (चाहे वह लिखित रूप में हो या मौखिक अथवा भागतः लिखित रूप में हो और भागतः मौखिक) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा करार भी है जिसमें ऐसे बलात्श्रम का उपबन्ध किया गया है जिसके अस्तित्व की उपधारणा सम्बन्धित परिक्षेत्र में प्रचलित किसी सामाजिक रूढ़ि के अधीन की जाती है ।

---

*हिन्दी पाठ राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 18 जून, 1977 को प्राधिकृत किया गया ।

स्पष्टीकरण—ऋणी और लेनदार के बीच करार के अस्तित्व की उपधारणा सामाजिक रूढ़ि के अधीन निम्नलिखित प्रकार के बलात्श्रम के संबंध में की जाती है, अर्थात् :—

आदियामार, बारामासिया, बसहया, बेथू, भगेला, चेरूमार, गारु-मल्लू, हाली, हारी, हरवई, होलया, जाना, जीथा, कामिया, खुण्डित-मुंडित, कुथिया, लेखेरी, मुक्ती, मेट, मुनीश पद्धति, नित-मजूर, पलेरू, पड़ियाल, पनाईलाल, सागड़ी, सजी, सजावत, सेवक, सेवकिया, सेरी, वेट्टी ;

(ग) मातृप्रधान समाज के व्यक्ति के संबंध में "पूर्वपुरुष" या "वंशज" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस समाज में प्रवृत्त उत्तराधिकार की विधि के अनुसार ऐसी अभिव्यक्ति के समरूप है ;

(घ) "बन्धित ऋण" से ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो बन्धित श्रम पद्धति के अधीन या उसके अनुसरण में बन्धित श्रमिक द्वारा अभिप्राप्त किया जाता है या जिसके बारे में यह उपधारणा की जाती है कि वह ऐसे अभिप्राप्त किया गया है ;

(ङ) "बन्धित श्रम" से बन्धित श्रम पद्धति के अधीन किया गया कोई श्रम या की गई कोई सेवा अभिप्रेत है ;

(च) "बन्धित श्रमिक" से ऐसा श्रमिक अभिप्रेत है जो बन्धित ऋण उपगत करता है या जिसने वह उपगत किया है या जिसके बारे में यह उपधारणा की जाती है कि उसने वह उपगत किया है ;

(छ) "बन्धित श्रम पद्धति" से बलात्श्रम या भागतः बलात्श्रम की पद्धति अभिप्रेत है जिसके अधीन ऋणी लेनदार से इस आशय का करार करता है या जिसने ऐसा करार किया है या जिसके बारे में यह उपधारणा की जाती है कि उसने ऐसा करार किया है कि —

(i) उसके द्वारा या उसके पारम्परिक पूर्व पुरुषों या वंशजों में से किसी के द्वारा अभिप्राप्त उधार के प्रतिफल में (चाहे ऐसा अग्रिम किसी दस्तावेज द्वारा साक्षित है या नहीं) और ऐसे अग्रिम पर देय ब्याज के, यदि कोई हो, प्रतिफल में ; अथवा

(ii) किसी रूढ़िगत या सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में ; अथवा

(iii) किसी ऐसी बाध्यता के अनुसरण में जो उत्तराधिकार द्वारा उसको न्यागत हुई है ; अथवा

(iv) उसके द्वारा या उसके पारम्परिक पूर्वपुरुषों या वंशजों में से किसी के द्वारा प्राप्त किसी आर्थिक प्रतिफल के लिए ; अथवा